डीपीई-05/0002/2023-एएमआरसीडी

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

लोक उद्यम विभाग

लोक उद्यम भवन

ब्लॉक सं 14, सी. जी. ओ. कॉम्प्लेक्स

लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 25 जुलाई, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: **केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज़) और सीपीएसईज़ और सरकारी विभागों/संगठनों के बीच वाणिज्यिक विवाद का निपटान – सीपीएसईज़ विवाद के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र (एएमआरसीडी) – संबंधी।**

अधोहस्ताक्षरी को ऊपर उल्लिखित विषय पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिनांक 14.12.2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 05/0003/2019-एफटीएस-10937 का संदर्भ देने का निदेश हुआ है।

2. उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 3.3 में एएमआरसीडी दिशानिर्देशों की अनुप्रयोगता निर्दिष्ट की गई है और कहा गया है कि *केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज़)/पोर्ट ट्रस्टों के बीच और सीपीएसईज़ और सरकारी विभागों/संगठनों के बीच (रेलवे, आयकर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभागों से संबंधित विवादों को छोड़कर) वाणिज्यिक अनुबंध के प्रावधानों की व्याख्या और अनुप्रयोग से संबंधित किसी भी विवाद या मतभेदों को इसके समाधान के लिए किसी भी पक्ष द्वारा केवल एएमआरसीडी के माध्यम से लिया जाएगा।*

3. यह देखा गया है कि कुछ सरकारी विभागों/संगठनों में दिनांक 14.12.2022 के एआरएमसीडी दिशानिर्देशों की अनुप्रयोगता पर स्पष्टता का अभाव है।

4. इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि निम्नलिखित संगठनों/विभागों के बीच विवाद के मामले में वाणिज्यिक संविदाओं के प्रावधानों की व्याख्या और उपयोग केवल एएमआरसीडी के तहत किया जाएगा:

i. सीपीएसई और सीपीएसई;
ii. सीपीएसई और केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभाग;
iii. सीपीएसई और केन्द्र सरकार के अधीन सार्वजनिक प्राधिकरण/संगठन या विश्वविद्यालय;
iv. सीपीएसई और राज्य सरकारें/किसी भी राज्य सरकार के तहत राज्य पीएसयूज़/सार्वजनिक प्राधिकरण/संगठन या विश्वविद्यालय।

5. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों तथा सीपीएसईज़/पीएसयू/सरकारी संगठनों से संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध है कि वे इन दिशा-निर्देशों को अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी सीपीएसईज़/संगठनों के ध्यान में लाएं ताकि इनका सख्ती से अनुपालन किया जा सके।

6. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

क्रांती

(क्रांती ई. खोब्रागडे)
उप सचिव, भारत सरकार
ईमेल: kranti.khobragade@gov.in

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।
2. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव।

सूचना हेतु प्रतिलिपि अग्रेषित:

1) मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2) सचिव, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
3) सभी सीपीएसईज़ के मुख्य कार्यपालकों को सूचना और आवश्यक अनुपालन हेतु।